अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 77 / 2021(जी.सी.एम.एस. 2021 / 191)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. गोखी उर्फ हरचन्द सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 02.09.2021

उपस्थितः 1.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

---निर्णय--- दिनांक : 14.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/90 के मुरब्बा नम्बर 41, 67/16 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादी का नाम गोखी पुत्री सरवन सिंह अंकित है। वादी उक्त खाता में पुत्री के स्थान पर पुत्र व गोखी के स्थान पर गोखी उर्फ हरचन्द सिंह दुरूस्त करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादी को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/90 में अंकित नाम गोखी पुत्री सरवन सिंह के स्थान पर गोखी उर्फ हरचन्द सिंह पुत्र सरवन सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 995 दिनांक 13.04.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 एच की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/90 के मुरब्बा नम्बर 41 मय खाला की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में गोखी पुत्री सरवन सिंह जाति मजहबी हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि गोखी पुत्री सरवन सिंह को ईन्तकाल संख्या 470 किस्म खातेदारी से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम हरचन्द सिंह पुत्र सरवन सिंह अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गोखी पुत्री सरवन सिंह व हरचन्द सिंह पुत्र सरवन सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अन्य कोई व्यक्ति इस नाम से गांव में निवास नहीं करता है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/90 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां के तस्दीक प्रमाणपत्र की छायाप्रति, राजस्थान सरकार पहचान पत्र की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, सनद की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 470 दिनांक 30.10.2012 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/90 में अंकित नाम गोखी पुत्री सरवन सिंह के स्थान पर गोखी उर्फ हरचन्द सिंह पुत्र सरवन सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति, राजस्थान सरकार पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति में नाम हरचन्द सिंह पुत्र सरवन सिंह अंकित है। परन्तु सनद संख्या 52 दिनांक 19.07.2012 में गोखी पुत्री सरवन सिंह अंकित है। लिहाजा वादी द्वारा सनद की कार्यवाही के समय नाम सम्बन्धी शुद्धि करवाई जानी चाहिए थी। अतः वाद पत्र वादी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख. भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव मदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव मदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गोखी उर्फ हरचन्द सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 77/2021

निर्णय दिनांक :- 14.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ✦ सत्यमेव जयते